राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1571/2014/जयपुर.

मैसर्स जैन पाईप फिटिंग वर्क्स, चाकसू, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोन–III, जयपुर.
2. उपायुक्त (अपील्स)–तृतीय, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री आर. सी. गुप्ता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश दिनांक 04.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, सम्भाग–तृतीय, जयपुर के आदेश दिनांक 25.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टोंक द्वारा अवार्डेड संकर्म संविदा Construction of RCC Reservoir with material at Hillock UWSS Niwai Complete job capacity 100 KL. रूपये 10,60200/– पर ई.सी. जारी किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने कार्य की प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए उक्त कार्य पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क प्रभारित करते हुए ई.सी. जारी किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निष्पादित संविदा कार्य बिल्डिंग कार्य होने से इस पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता होती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को जारी अवार्ड को दृष्टिगत रखते हुए निष्पादित संविदा कार्य को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार 3 प्रतिशत की दर से जारी ई.सी. को विधिसम्मत बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता का निर्धारण बिल्डिंग्स कार्यों के लिये किया गया है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निष्पादित कार्य आर.सी.सी. पानी की टंकी है जो बिल्डिंग्स की श्रेणी में नहीं आने के कारण कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत पाये जाते हैं।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष